

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प दिविया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 194

दिनांक : 23.11.2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री... दुर्गा राम पुत्र/पुत्री/पत्नी... मालूम
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम... रिबिया पटवार मण्डल... 250 फु 4 यार्ड
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्... 2071-74 के खाता संख्या... 71 में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति... दुर्गा राम पुत्र मालूम अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से... दुर्गा राम पुत्र मालूम अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का... 250 फु 4 यार्ड से करवाने पर पटवारी ने... दुर्गा राम पुत्र मालूम के
बजाय... दुर्गा राम पुत्र मालूम करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में... दुर्गा राम पुत्र मालूम
के बजाय... दुर्गा राम पुत्र मालूम करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम... रिबिया
के खाता संख्या... 71 में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति... दुर्गा राम पुत्र मालूम
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से... दुर्गा राम पुत्र मालूम दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

ना.सं. 1317
24-11-21

